

(7)

अचल अधिकारी 10.4.18 का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- : 53(X)18-19

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

2 4 18

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, बिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन, सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र। संख्या-3-खा०म०बि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मीजा- 10.2011 धाना- 193 खाता संख्या- 141 प्लॉट संख्या- 1  
 एकबा- 2771 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनायाद बिहार

(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 11 के पृष्ठ संख्या- 444 में जमाबंदी रयत अचल अधिकारी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा जांचोपधान चलाया गया है। भूमि के विरुद्ध कायम/जमाबंदी को सुदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आवेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोढ़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सामा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 10.4.18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित  
 अचल अधिकारी

अचल अधिकारी

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
16-4-16	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तालिका प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपयुक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजों की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख से संलग्न है।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>16-4-16</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	
16-4-16	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपयुक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। भौजा <u>सो. 133</u> धाना सं० <u>133</u> खाता सं० <u>141</u> प्लॉट सं० _____ कुल रकबा-<u>277 1/2</u> जो जमाबंदी संख्या-<u>444</u> में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज को लगान रसीद समर्पित है। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अकैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपयुक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी सदिग्ध/अकैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०-<u>444</u> को रद्द करने हेतु जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	